

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी:- हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं०:-210/2022

दायर दिनांक 16.08.2022

जीसीएमएस आई०डी०:-2022/593

1. रामसिंह पुत्र नत्थी उम्र 71 वर्ष
2. बिसपत्या पुत्र नत्थी उम्र 66 वर्ष
3. खेमा पुत्र किरोडी उम्र 64 वर्ष
4. बुद्धा पुत्र किरोडी उम्र 59 वर्ष

जाति जाटव निवासी करई,
तहसील हिण्डौन सिटी जिला
करौली

—सायलान-04

बनाम

1. शिवदेई पत्नि परभाती उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी करई तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज०।
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।
3. सब रजिस्ट्रार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।
4. मुकेश उम्र 42 वर्ष
5. राकेश उम्र 40 वर्ष
6. बंटी उम्र 32 वर्ष
7. पंकज उम्र 30 वर्ष
8. गीता पुत्री परभाती पत्नि मुरारी जाति जाट निवासी सीतापुर तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान
9. बवीता पुत्री परभाती पत्नी श्यामसिंह जाति जाट निवासी सीतापुर तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—गैरसायलान-09

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:-

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि यहकि आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 122 रकवा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 129 रकवा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 130 रकवा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 132 रकवा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 176 रकवा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 177 रकवा 2 बीघा 1 बिस्वा खसरा नम्बर 178 रकवा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 179 रकवा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 180/1 रकवा 1 बीघा, खसरा नम्बर 180/2 रकवा 1


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बीघा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 181 रकवा 4 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 182 रकवा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 186 रकवा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 187 रकवा 5 बीघा, खसरा नम्बर 189 रकवा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 190 रकवा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 192 रकवा 2 बीघा, खसरा नम्बर 203 रकवा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 192, रकवा 2 बीघा. कुल किता 18 कुल रकवा 40 बीघा 2 बिस्वा स्थित ग्राम करई, तहसील-हिण्डौन, जिला-सवाईमाधोपुर रहा है, जो तत्कालीन समय उपखण्ड हिण्डौन व ग्राम करई का जिला रहा है।

आराजीयात मुतजिना मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र में गैरसायल नम्बर 01 व 04 लगायत 09 के पति व पिता परभाती पुत्र घंटोली व मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 22 व 23 सुफेदी व मेंढो हिस्सा 1/2 तथा मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 10 लगायत 14 के पति व पिता सूने तथा मूल बाते प्रतिवादी गम्बर 15 लगायत 21 के पति पिता हुकम हिस्सा 1/2 के कब्जेकारत व खातेदारी की चूनि रही है तथा परमाती की खास महिन मूल याचे की प्रतिवादी नम्बर 22 व 23 रही है, जिनकी शादी होकर यह अपनी ससुराल में चली गयी और तभी से वहीं निवास कर रही हैं।

उक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र के सम्पूर्ण 1/2 हिस्से को परमाती के द्वारा ही काबिज व दखील होकर काशत किया जा रहा था, क्योंकि उसकी खास वहिनें सुफेदी व मेंढो मूल दावे की प्रतिवादी नम्बर 22 व 23 अपनी शादी के पश्चात् ससुराल चली गयीं और वहीं निवास करने लग गयी, इसलिये परमाती ही 1/2 हिस्से पर बतौर खातेदार काशतकार काबिज व दखील होकर काशत करता रहा तथा शेष 1/2 हिस्सा सूबे व हुकम के कब्जेकाशत का रहा।

गैरसायल नम्बर 01 व 04 ता 09 के पति व पिता परभाती ने मूल दावे की प्रतिवादी नम्बर 22 व 23 अपनी खास बहिनों की सहमति से तथा मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 10 ता 14 के पति व पिता सूबे तथा मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 15 ता 21 के पति व पिता हुकम ने आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र में से आराजी खसरा नम्बर 192 रकवा 2 बीघा सम्पूर्ण को बिलएवज 4 हजार रुपये में दिनांक 11.08.78 को सायलान को विक्रय कर दिया और इस सम्बंध में एक वयनामा केदारलाल जिंदल डीडराईटर, तहसील हिण्डौन से तहरीर व तकमील कराकर विक्रेतागण परभाती, सूबे व हुकम ने वयनामा के प्रत्येक पेज पर अपनी निशानी कर दी और गवाही गवाहान किशनसिंह जाट व हुक्मीराम जाटव की करा दी और चुकती

विक्रय धनराशि सायलान से नगद प्राप्त कर उक्त वयनामा उपपंजीयक अधिकारी हिण्डौन के यहां दिनांक 28.08.1978 को पंजीकृत करा दिया तथा उक्त विक्रित आराजी पर सायलान का मौके पर कब्जा वाकई करा दिया, तभी से सायलान अपनी खरीदशुदा उक्त आराजी पर काबिज व दखील होकर काशत करते चले आ रहे है।

उक्त आराजी को सायलान द्वारा खरीदने के उपरान्त मुताबिक कानून सायलान की खरीदशुदा आराजी का नामांतरण दिनांक 21.11.1978 को खुलकर उक्त नामांतरण सायलान के नाम तस्दीक किया गया। इस प्रकार सायलान उक्त आराजी के मुताबिक कानून खातेदार काशतकार हैं। सायलान द्वारा खरीद की गई उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 192 रकवा 2 बीघा का नामांतरण सायलान के हक में खुलने के उपरान्त जमाबंदी में उक्त खरीद का इन्द्राज होने के समय उक्त भूमि के रहन होने के कारण उसका जमाबंदी में इन्द्राज नहीं हो सका, इस कारण सायलान की खरीदशुदा भूमि का राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में इन्द्राज नहीं हो पाया, मगर मौके पर सायलान उक्त भूमि को खरीदने के उपरान्त वर्ष 1978 से विगत 44 वर्ष से उस पर गैरसायलान की इल्म में बदस्तूर बिना किसी बिघ्न बाधा के बेरोकटोक निरन्तर काबिज व दखील होकर काशत करते चले आ रहे हैं। जिससे गैरसायलान व अन्य किसी व्यक्ति का कोई वास्ता व सम्बंध किसी प्रकार का नहीं है।

भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र को परभाती, हुकम व सूबे द्वारा सायलान को विक्रय के उपरान्त उक्त आराजी का सायलान के हक में नामांतरण खुलने के पश्चात् उक्त नामांतरण का जमाबंदी में विक्रयशुदा भूमि के रहन का इन्द्राज होने से जमाबंदी में अमल न होने के कारण उनके द्वारा बैंक को चुकती राशि जमा कर बैंक से एनओसी ले ली, मगर बराये बदयान्ति उनके द्वारा उका एनओसी को राजस्व कर्मचारियों के यहां पेश नहीं करने के कारण सायलान के हक में जका भूनि का नामांतरण नहीं खुल सका, मगर भूमि पर सायलान का कब्जाकाशत योग खरीद वर्ष 1978 से बदस्तूर रहा और आज भी है। दौराने सैटलमेंट गैरसायल नम्बर 04 ता 09 के पिता व गैरसायल नम्बर 01 के पत्ति परमाती व मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 22 व 23 ने मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 10 ता 14 के पति व पिता सूबे तथा मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 15 ता 21 के पति व पिता हुकम ने आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र का सैटलमेंट विभाग से पुराने खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बर कायम करते समय अपनी पूर्व में विक्रयशुदा साबिक खसरा नम्बर 192 रकवा 2 बीघा के सहित आपसी सहमति से बंटवारा कर


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सि. (सू. 1)

अलग-अलग खातेदारी करा ली. जिसमें सायलान को विक्रयशुदा साबिक खसरा नम्बर 192 रकवा 2 बीघा को विक्रय के कारण परभाती व मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 22 व 23 की खातेदारी में दे दिया, जिस पर सैटलमेंट अधिकारी-कर्मचारियों ने आराजीयात मुतजिना मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र का उनके सहखातेदारान के मध्य विभाजन करते हुए उसके नये नम्बर कायम कर गैरसायल नम्बर 01 व 04 ता 09 के पति व पिता परभाती व मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 22, 23 के हक में खसरा नम्बर हाल 205/521, खसरा नम्बर 298, खसरा नम्बर 365, खसरा नम्बर 366, खसरा नम्बर 384, 385, 387, 388, 389, 390 कुल किता 10 कुल रकवा 3.70 है० दर्ज कर दी, जबकि उक्त साबिक खसरा नम्बर 192 रकवा 2 बीघा के नये खसरा नम्बर 365 रकवा 25 ऐयर व 366 रकवा 25 ऐयर कुल रकवा 50 ऐयर जो सैटलमेंट ने कायम किये उनकी खातेदारी में अंकित कर दिये, जबकि उक्त खसरा नम्बरान का साबिक खसरा नम्बर पूर्व में हुकम् सूबे व परमाती अपनी बहिनों सुफंदी व मेढो की सहमति से सायलान की विक्रय कर चुके थे, के तथ्य को छिपाते हुए इन्होंने सैटलमेंट से अपने नाम दर्ज करा लिये, जबकि इनका मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा उक्त आराजी पर नहीं था. बल्कि सन् 1978 के वयनामा के अनुरूप उक्त आराजी पर सायलान ही निरन्तर काबिज व दखील है तथा उन्होंने मौके पर उक्त खरीदशुदा भूमि का वहामी तकास्मा कर रखा है और अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर साल दर साल उसमें फसल काशत करते चले आ रहे हैं तथा सायलान के द्वारा अपनी खरीदशुदा भूमि में सायल नम्बर 03 ने अपने हिस्से में पाटौरपोश 3 गेह दुपल्ला पुख्ता बना ली, जिसमें वह काशत का चारा-फूस रखकर मवेशियों को बांधता चला आ रहा है तथा सायल नम्बर 04 ने अपने हिस्से में पुख्ता कमरे बना लिये, जिसमें वह चारा-फूस रखने व जानवरों को बांधने तथा खेती में काम में आने वाले सामान को रख उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा उसके द्वारा एक बोर भी करा कर विद्युत का कनेक्शन ले लिया है, शेष सायलान अपने-अपने हिस्से पर काशत कर भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। सायलान द्वारा उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 192 रकवा 2 बीघा हाल खसरा नम्बर 365 व 366 रकवा 50 ऐयर स्थित ग्राम करई को जरिये पंजीकृत वयनामा खरीदने के उपरान्त उसकी जमाबंदी का इन्द्राज सायलान के नाम न होने से व दौराने सैटलमेंट पारिवारिक बंटवारे में उक्त हाल खसरा नम्बर परभाती व उसकी बहिनों के नाम खातेदारी में दर्ज होने से परभाती के मन में बेईमानी आ जाने से उक्त आराजी हाल

खसरा नम्बर 365 व 366 के साथ अन्य खसरा नम्बरान में से 1/3 हिस्से का वयनामा दिनांक 24.08.2000 को सुरेशचन्द पुत्र रावजीराम जति जाट निवासी महइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन के हक में सम रजिस्ट्रार हिण्डौन के यहां पंजीकृत करा दिया, जिसकी जानकारी गायलान को होने पर सायलान ने सुरेशचन्द के उक्त वयनामा को कैंसिल कराने हेतु सिविल न्यायाधीश ए.सी.जे.एम. साहब हिण्डौन के यहां एक दावा उनवानी रामसिंह आदि बनाम परमाती आदि मुठनं० 12/2009 दावा वावत् कैंसिलेशन ऑफ विक्रय पत्र एवं स्थायी निषेधाज्ञा तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दायर किया जिसमें प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को दावे के निस्तारण तक स्थगन से पाबन्द फरमा दिया तत्पश्चात सायलान द्वारा दायर दावा दिनांक 30.10.2021 को डिक्री किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा उक्त वयनामा परभाती वहक सुरेशचन्द तारीखी 24.08.2009 निरस्त फरमा दिया और प्रकरण में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया कि वह वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 365 व 366 कुल किता 2 कुल रकवा 50 ऐयर को किसी अन्य व्यक्ति को रहनवय नहीं करें और ना ही सायलान के कब्जेकाशत में किसी प्रकार का दखल करें, इस प्रकार न्यायालय सिविल न्यायाधीश ए.सी.जे.एम. साहब द्वारा भी सायलान के वयनामे वर्ष 1978 को सही मानते हुए व सायलान का विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 365 व 366 पर कब्जा मानते हुए सुरेश का वयनामा निरस्त फरमा दिया और उक्त भूमि के सम्बंध में गैरसायलान को सायलान के कब्जेकाशत से व भूमि के रहनवय नहीं करने के लिये पाबन्द फरमा दिया, इससे स्पष्ट है कि सायलान द्वारा उक्त भूमि वर्ष 1978 में खरीद की गई थी और तभी से सायलान का उक्त खरीदशुदा भूमि पर विगत 44 वर्ष से बेरोकटोक बिना किसी बाधा के निरन्तर अबाध रूप से गैरसायलान के इल्म में कब्जा चला आ रहा है और आज भी है।

मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 22 व 23 ने आराजी खसरा नम्बर 365 रकवा 25 ऐयर च खसरा नम्बर 306 रकवा 26 ऐयर कुल किता 2 कुल रकवा 50 ऐयर के साथ अन्य आराजीयात के सम्बंध में एक दावा वावत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी सुफेदी आदि बनाम रामसिंह आदि व इसी उनवान का एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरुद्ध न्यायालय एसडीओ हिण्डौन में दिनांक 09.07.2015 को दायर किये, जिसके प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18.12.2015 को उक्त आराजी पर सुफेदी व मेंढो का कोई कब्जा नहीं


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिविल (न्यायाधीश)

मानते हुए व उक्त भूमि को पूर्व में सुफेदी व मेंढो के भाई परभाती व उसके सहखातेदार हुकम व सूबे के द्वारा जरिये पंजीकृत वयनामा सायलान को विक्रय करने के तथ्य को सही मानते हुए व उक्त भूमि पर सायलान का कब्जा मानते हुए मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 22 व 23 द्वारा दायर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमा दिया, जिसकी अपील मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 22 व 23 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहां दायर करने पर मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 22 व 23 की अपील भी अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को सही मानते हुए अपील को सारहीन मानकर दिनांक 28.11.2019 को खारिज फरमा दी। इस प्रकार भी सायलान द्वारा उक्त भूमि के खरीद व योम खरीद से उक्त भूमि पर सायलान के कब्जे का तथ्य भलीभांति साबित है। इसलिये सायलान उक्त भूमि की घोषणा खातेदारी अपने हक में कराने के कानूनी अधिकारी हैं।

सायलान द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश ए.सी.जे.एम. साहब के यहां से उनवानी मुकदमा रामसिंह आदि बनाम परभाती आदि दावा बावत् रजिस्ट्री कैंसिलेशन व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री होने के पश्चात् बराये बदयान्ति सायलान के हिस्सों को हड़प करने के उद्देश्य से एक फर्जी व नुमाईशी वयनामा मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 22 व 23 जो कि परनाती की खास बहिनें हैं ने अपनी खास भाभी गैरसायल नम्बर 01 के हक में दिनांक 25.11.2021 को तहरीर कर पंजीबद्ध करा दिया, जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 415 में पृष्ठ संख्या 81. क्रम संख्या 202103112101670 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1292 के पृष्ठ संख्या 339 से 448 पर चस्पा किया गया जो कानूनन बमुकाबले वादीगण / सायलान नल एण्ड बोइड है. क्योंकि उक्त वयनामा में मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 22 व 23 द्वारा गैरसायल नम्बर 01 को आराजीयात खसरा नम्बर 365 व 366 पर कोई कब्जा किसी प्रकार का नहीं दिया गया तथा वयनामा की विक्रेता मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 22 व 23 के द्वारा उक्त वयनामा गैरसायल नम्बर 01 अपनी खास भाभी के हक में कराया गया है, इसलिये गैरसायल नम्बर 01 द्वारा भी मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 22 व 23 को वयनामा में कोई वर्णित प्रतिफल अदा नहीं किया गया, इस प्रकार उक्त वयनामा कानूनन बिना कब्जे व बिना प्रतिफल के होने से तथा इसके अतिरिक्त उक्त वयनामा में वर्णित खसरा नम्बरान 365 व 366 के साबिक खसरा नम्बर 192 में अपने हिस्से को परभाती के द्वारा मूल दावे के


उपरखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिविल (कॉर्ट)


प्रतिवादी नम्बर 22 व 23 की सहमति से सायलान को विक्रय कर उनका कब्जा कराने व उक्त साबिक खसरा नम्बर के शेष 1/2 हिस्से के खातेदारान सूबे व हुकम द्वारा अपना हिस्सा सायलान को विक्रय कर उनका कब्जा कराने से सायलान उक्त भूमि के जरिये पंजीकृत वयनामा खरीद के आधार पर स्वामी होने से व योम खरीद से भूमि पर काबिज व दखील होने से मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 22 व 23 द्वारा गैरसायल नम्बर 01 के हक में कराया गया वयनामा कानूनन बमुकाबले सायलान नल एण्ड वोइड व प्रभावहीन है और निरस्त किये जाने योग्य है।

सायलान द्वारा गैरसायल नम्बर 01 के पति व गैरसायल नम्बर 04 ता 09 के पिता व मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 22 व 23 के खास भाई परभाती व मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 10 ता 14 के पति व पिता सूबे तथा मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 15 ता 21 के पति व पिता हुकम से हाल आराजी खसरा नम्बर 365 व 366 के साबिक खसरा नम्बर 192 रकवा 2 बीघा स्थित ग्राम करई को वर्ष 1978 में जरिये पंजीकृत वयनामा खरीद के उपरान्त बराये बदयान्ति गैरसायल नम्बर 01 द्वारा सायलान के उक्त खसरा नम्बरान में उनके हकहकूकों को व विधिक अधिकारों को समाप्त करने के गरज से फेक, बनावटी व कूटरचित बिना कब्जे व बिना प्रतिफल के एक वयनामा मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 22 व 23 के साथ मिलकर दिनांक 25.11.2021 को अपने हक में पंजीबद्ध कराकर विधि विरुद्ध रूप से उसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करा ली और उक्त खसरा नम्बरान में 2/3 हिस्से की खातेदारी गैरसायल नम्बर 01 के हिस्से में दर्ज हो जाने का नाजायज फायदा उठाते हुए गैरसायल नम्बर 01 आए दिन सायलान को हैरान व परेशान करती रहती है और इस गरज से वह उनके खिलाफ आए दिन पुलिस थाना व राजस्व विभाग में झूठी शिकायतें दर्ज कराकर सायलान को हैरान परेशान कर भूमि पर प्रशासनिक अमले का सहारा लेकर भूमि से सायलान को बेदखल करने पर आमादा है और इसके लिये वह आए दिन सायलान को हैरान व परेशान करती रहती है, जबकि मौके पर साबिक खसरा नम्बर 192 हाल खसरा नम्बर 365 व 366 सम्पूर्ण पर सायलान योम खरीद से ही काबिज व दखील हैं और उन्होंने इस वर्ष उक्त भूमि में बाजरे की फसल कारत की हुई है जो मौके पर सरसब्र मौजूत है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी सावित है।


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिब (करौली)

बाका दिनांक को दिन के 10 बजे का है कि सायलान आराजीयात खसरा नम्बर हाल 365 366 स्थित ग्राम करई पर अपनी बाजरे की बोई हुई फसल की देखभाल कर रहे थे कि इतने में ही गैरसायल नम्बर 01 व गैरसायल नम्बर 04 ता 09 अपने हमराहियों के साथ सायलान की कब्जेकाश्त की उक्त आराजीयात पर आये और सायलान से कहा कि उक्त आराजीयात को गैरसायल नम्बर 01 ने अपनी खास ननदों सुफेदी व मेंढों से खरीद कर उसकी खातेदारी अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा ली है, तुम्हारा इस जमीन से कोई वास्ता नहीं है, तुम यहां से भाग जाओ, वरना हम लड्ड के बल पर भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे तो सायलान ने कहा कि यह जमीन तो करीब 44 वर्ष पहले हमने तुम्हारे पति परभाती व उसके अन्य सहखातेदार सूबे व हुकम से वर्ष 1978 में जरिये पंजीकृत वयनामा खरीद ली और तभी से ही हम उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं, परभाती ने सुरेश जाट को जो रजिस्ट्री करायी वह भी हमने न्यायालय से निरस्त करा दी, इस जमीन से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो तो इतने में ही गैरसायल नम्बर 01 व गैरसायल नम्बर 04 ता 09 तथा उनके हमाराही अत्यधिक नाराज हो गये और कहा कि अगर तुमने ज्यादा कुछ कहा तो तुम्हें लड्ड के बल पर भूमि से बेदखल कर देंगे तथा भूमि को दीगर लठैत व बदमाश किस्म के लोगों को रहनवय कर उसके दस्तावेज गैरसायल नम्बर 03 के कार्यालय में पंजीबद्ध करा देंगे, भूमि को खुर्दबुर्द कर देंगे, तुमसे बने सो कर लेना, कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड सकता। सायलान के समझाने पर भी वह मानने को तैयार नहीं हुए। अगर गैरसायलान अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो सायलान को अत्यधिक क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। इसलिये सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को इस अग्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि खसरा नम्बर 365 रकवा 26 ऐयर, खसरा नम्बर 366 रकवा 25 ऐयर कुल किता 2 कुल रकवा 50 ऐयर स्थित ग्राम करई तहसील हिण्डौन से सायलान के कब्जेकाश्त से उन्हें जबरन लड्ड के बल पर बेदखल कर कब्जा नहीं करें और ना किसी अन्य से करावें और ना ही उक्त आराजीयात को किसी दीगर व लठैत व्यक्तियों को रहनवय कर उसका कोई दस्तावेज गैरसायल नम्बर 03 के यहां पंजीकृत करावें और ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे उक्त आराजीयात में सायलान के हकहकूकों व विधिक


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिल्ला

अधिकारों को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे और वादीगण को उनके कब्जेकाशत की भूमि का शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग करने देवें। मौका व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल न0 1, 4 ता 7 की ओर से श्री रामभरोसी गोयल ने वकालतनामा पेश किया। गैरसायल स0 2, 3, 8, 9 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। गैरसायल स0 1, 4 ता 7 की ओर से जबाब पेश किया गया जो निम्नानुसार है:-

1. प्रार्थना पत्र के मद न0 1 में सायलान द्वारा गैरसायलान के विरुद्ध कतई गलत एवम झूठा दावा पेश करना स्वीकार है। जिसमें सायलान को कोई सफलता का चांस नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र का मद न0 2 स्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र का मद न0 3 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत होने के कारण अस्वीकार है। परभाती की बहिन सुफेदी व मेढों रिकॉर्डेड खातेदार को टिनेन्ट थी तथा उनके जीवनकाल में वह अपने हिस्से की भूमि को स्वयं काशत करती थी, उन्होने अपना हिस्सा सायलान को कभी भी विक्रय नहीं किया। इस मद में सायलान ने सारी बाते गलत लिखी है।
4. प्रार्थना का मद न0 4 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। विवादग्रस्त भूमि के मेढो सुफेदी के हिस्से की भूमि को उनका भाइ परभाती काशत नहीं करता था, नाही परभाती को मेढो सुफेदी के हिस्से की भूमि को बेचने का कानूनन अधिकार था। उक्त भूमि के अपने हिस्से को सुफेदी मेढो काशत करवाती चली आ है।
5. प्रार्थना पत्र का मद न0 5 जिस प्रकार से तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है। मूल वाद की प्रतिवादी स0 22 सुफेदी व प्रतिवादी स0 23 मेंढो ने साबिक खसरा न0 192 रकबा 2 बीघा के नवीन खसरा न0 365 रकबा 25 ऐयर, 366 रकबा 25 ऐयर के अपने हिस्सा का दिनांक 24.08.1978 को विक्रय नहीं किया। नाही विक्रय राशि ही प्राप्त की। मूल वाद के प्रतिवादी स0 22, 23 ने सायलान के हक में तथा कथित वयनामा तहरीर व तकमील कराकर हस्ताक्षर

- निशानी नहीं किये और नाही सब रजि० से तस्दीक ही कराया। मूल वाद के प्रतिवादी स० 22, 23 ने विक्रय नामा पर सहमति से कोई हस्ताक्षर नहीं किये।
6. प्रार्थना पत्र का मद न० 6 गलत होने के कारण अस्वीकार है। मूल वाद के प्रतिवादी स० 22, 23 ने जब कोई वयनामा सायलान के हक में तस्दीक ही नहीं कराया तब कानूनन सायलान के नाम कानूनन नामांतरण तस्दीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तथा कथित नामांतरण विधि विरुद्ध पंजीकृत वयनामा के आधार पर से भरा जाने के कारण उसका अमल नहीं हुआ। विवादग्रस्त आराजी शुरू से ही मूल वाद के प्रतिवादी न० 22 व 23 के नाम जमाबंदी में दर्ज चली आ रही है तथा उक्त भूमि मूल वाद के प्रतिवादी न० 22, 23 के नाम की काश्त में चली आ रही है।
7. प्रार्थना पत्र का मद न० 7 गलत होने के कारण अस्वीकार है, मूल वाद के प्रतिवादी स० 22, 23 की खातेदारी व हिस्से की भूमि पर सायलान का कभी भी किसी प्रकार का कब्जा नहीं रहा है, मूल वाद के प्रतिवादी न० 22, 23 का ही उनके हिस्से की भूमि पर निरंतर कब्जा काश्त है। तथा अब वर्तमान में गैरसायल स० 1 का कब्जा काश्त है।
8. प्रार्थना पत्र का मद न० 8 गलत है अस्वीकार है। इस मद में दर्ज सभी बाते गलत दर्ज की है, सायलान का विवादग्रस्त भूमि पर सन 1978 से लेकर आज तक कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, वर्तमान में खसरा न० 65, 66 पर गैरसायल स० 1 शिवदेई का कब्जा काश्त है।
9. प्रार्थना पत्र का मद न० 9 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत होने के कारण अस्वीकार है। सेटिलमेंट वालों ने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार नवीन खसरा नम्बरान कायम कर उसके नियमानुसार पर्चा जारी किये। सायलान के हक में सन 1978 में कोई वयनामा उसकी कीमत देकर नहीं कराया और नाही सायलान को मौके पर कब्जा ही दिया। उक्त भूमि में सायल स० 3 की कोई तीन गह पाटौर नहीं है नाही गैरसायल स० 4 ने उक्त भूमि में कमरा बनाया और नाही बिजली बोरिंग ही कराया नाही उक्त पाटौर व कमरा का सायलान उपयोग उपभोग कर रहे है, इस मद में दर्ज सभी बाते गलत है।
10. प्रार्थना पत्र का मद न० 10 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत होने के कारण अस्वीकार है। परभाती, सुफेदी मेढो ने सायलान के हक में सन

1978 में कोई वयनामा तस्दीक नहीं कराया। तथा कथित वयनामा फोर्ड, व विधि विरुद्ध है तथा उसे आधार से भरा व तस्दीक किया गया नामांतरण गैरकानूनी है, उससे सायलान को कोई राईट टाईटल इन्ट्रेस्ट नहीं होते है। आराजीयात नवीन खसरा न0 365, 366 वाके ग्राम करई के प्रभाती के 1/3 हिस्सा और सुफेदी मेंडो के 2/3 हिस्सा के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा सुफेदी मेंडो पुत्री घंटोली ने अपना चूकता 2/3 हिस्सा गैरसायल स0 1 शिवदेई पत्नि परभाती को 2, 3, 900 रूपया में बेयान करदी, तथा वयनामा दिनांक 24.11.2021 को नियमानुसार तस्दीक करा दिया। तथा उक्त वयनामा के आधार पर गैरसायल स0 1 के नाम नामांतरण भरा जाकर नियमानुसार तस्दीक हो गया। तथा जमाबंदी में खातेदारी के इन्द्राज हो गये। इस प्रकार गैरसायल स0 1 विवादित आराजीयात खसरा न0 365, 366 वाके ग्राम करई के 2/3 हिस्से की जरिये रजि0 बोनाफाईड पर वेजर विद कन्सीडेशन तथा मौके पर काबिज है इसलिये रजि0 वयनामा सिविल कोर्ट से निरस्त होने के बाद ही रेवेन्यु कोर्ट को दावा हाजा की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, अदालत हाजा को दावा की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, अदालत हाजा को दावा सुनने का अधिकार नहीं है, सुरेशचंद के हक में परभाती द्वारा किया गया वयनामा दि0 24.08.2009 को निरस्त होने के भी मूल वाद की प्रतिवादी सुफेदी, मैडागे के हिस्से की भूमि के बाबत कोई विपरीत प्रभाव नहीं पढता है और नाही सायलान को गै0 सुफेदी मेंडो की भूमिप र कानूनन हक हासिल होता है।

11. प्रार्थना पत्र का मद न0 11 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत होने के कारण अस्वीकार है आराजी खसरा न0 365, 366 वाके ग्राम करई की मूल वाद प्रतिवादी स0 22, 23 रिकॉर्डेड को टिनेन्ट होने के कारण उन्होने अपना चूकता हिस्सा गैरसायल स0 1 को नियमानुसार वयनामा तहरीर व तकमील कराकर रजि0 करा दिया। तथा उक्त वयनामा के आधार से जरिये नामांतरण गैरसायल स0 1 के नाम खातेदारी हो गयी है उक्त भूमि से सायलान का को इस संबंध किसी प्रकार का नहीं हैं ना हि आज तक कभी कब्जा काश्त रहा है। सुफेदी बनाम रामसिंह से सायलान को कोई कानूनी हक हासिल नहीं होते है। सायलान को बिना रजि0 वयनामा दि0 25.11.2021


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोन सिविल (करोली)


उनमानी सुफेदी मेढो बनाम शिवदेई सिविल कोर्ट से निरस्त कराये अदालत हाजा को मुकदमा हाजा को सुनने का अधिकार नहीं है।

12. प्रार्थना पत्र का मद न0 12 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत होने के कारण अस्वीकार है। मूल वाद के प्रतिवादी नंबर 22, 23 ने गैरसायल स0 1 के हक में आराजी खसरा न0 365, 366 का अपना चूकता 2/3 हिस्सा दिनांक 24.11.2021 को उसकी कीमत लेकर तथा क्रेता को कब्जा देकर वयनामा तहरीर व तकमील कराकर दिनांक 25.11.2021 को नियमानुसार तस्दीक करा दिया तथा वयनामा के आधार पर गैरसायल स0 1 के हक में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी के इन्द्राज हो गये इस प्रकार गैरसायल स0 1 खसरा न0 365, 366 वाके ग्राम करई की बोनाफाइड परवेजर विद कन्सीड्रेशन है तथा मौके पर काबिज है, रजि0 वयनामा को सिविल कोर्ट से केन्सिल कराये बिना सायलान को राजस्व कोर्ट में दावा पेश करने का कानूनन हक नहीं है तथा अदालत हाजा को दावा व प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र हासिल नहीं है।

13. प्रार्थना पत्र का मद न0 13 गलत होने के कारण अस्वीकार है। गैरसायल स0 1 के पति परभाती एवम मूल वाद के प्रतिवादी स0 22, 23 ने तथा कथित वयनामा सन 1978 में तस्दीक नहीं कराया गया तथा कथित वयनामा फोर्ड एवम गैरकानूनी है, विवादित भूमि पर गैरसायल स0 1 काबिज काशत है, सायलान का कभी किसी प्रकार का कब्जा नहीं रहा है, इस मद में सभी बाते गलत दर्ज की है।

14. प्रार्थना पत्र का मद न0 14 गलत होने के कारण अस्वीकार है। दिनांक 01.08.2022 को सायलान व गैरसायलान के मध्य किसी प्रकार की कोई बातचीत कहनसुन नहीं हुयी। सायलान ने महज मुकदमा पेश करने को इस मद में गलत बाते लिखी है। सायलान को कोई क्षति नहीं है, सायलान का ना तो प्राईमाफेसी केस साबित है, नाही सुविधा का संतुलन ही साबित है।

सायलान ने अपना प्रार्थना पत्र साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी संवत 2022-25 वाके ग्राम करई, फोटो प्रतिलिपि वयनामा परभाती आदि बहक रामसिंह विक्रय पत्र दिनांक 11.08.1978, फोटो प्रति नामातंकरण संख्या 138, फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल, फोटोप्रति जमाबंदी संवत 2064-67 ग्राम करई, फोटोप्रति


अपरवापड अधिकारी
रिणडौन सिबै (कॉन्सिल)


वयनामा परभाती बहक सुरेश विक्रय पत्र दिनांक 24.08.2009, फोटो प्रति डिक्री न्यायालय एसीजेएम हिण्डौन दावा रामसिंह आदि बनाम परभाति आदि मुकदमा न0 12/2009, फोटो प्रति आदेश न्यायालय हाजा, प्रार्थना पत्र टीआई उनवानी सुफेदी बनाम रामसिंह आदि, फोटोप्रति आदेश न्यायालय आरएए सवाई माधोपुर सुफेदी बनाम रामसिंह, फोटो वयनामा मेढो बनाम शिवदेई गैरसायलान ने अपना जबाब प्रार्थना पत्र साबित करने हेतु फोटो प्रति रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 24.11.2021 तस्दीक 25.11.2021 उनवानी मेढो, सुफेदी बहक शिवदेई पेश किये है।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि खसरा नम्बर 365 रकवा 26 ऐयर, खसरा नम्बर 366 रकवा 25 ऐयर कुल किता 2 कुल रकवा 50 ऐयर स्थित ग्राम करई तहसील हिण्डौन से सायलान के कब्जेकाशत से उन्हें जबरन लड्डु के बल पर बेदखल कर कब्जा नहीं करें और ना किसी अन्य से करावें और ना ही उक्त आराजीयात को किसी दीगर व लठैत व्यक्तियों को रहनवय कर उसका कोई दस्तावेज गैरसायल नम्बर 03 के यहां पंजीकृत करावें और ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे उक्त आराजीयात में सायलान के हकहकूकों व विधिक अधिकारों को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे और वादीगण को उनके कब्जेकाशत की भूमि का शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग करने दें। मौका व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने का निवेदन किया। गैरसायलान ने अपने बहस कथन मे जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि मूल वाद के प्रतिवादी नंबर 22, 23 ने गैरसायल स0 1 के हक में आराजी खसरा न0 365, 366 का अपना चूकता 2/3 हिस्सा दिनांक 24.11.2021 को उसकी कीमत लेकर तथा क्रेता को कब्जा देकर वयनामा तहसीर व तकमील कराकर दिनांक 25.11.2021 को नियमानुसार तस्दीक करा दिया तथा वयनामा के आधार पर गैरसायल स0 1 के हक में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी के इन्द्राज हो गये इस प्रकार गैरसायल स0 1 खसरा न0 365, 366 वाके ग्राम करई की बोनाफाइड परवेजर विद कन्सीड्रेशन है तथा मौके पर काबिज है, रजि0 वयनामा को सिविल कोर्ट से केन्सिल कराये बिना सायलान को राजस्व कोर्ट में दावा पेश करने का कानूनन हक नहीं है तथा अदालत हाजा को दावा व प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र हासिल नहीं है। प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया है।


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रकरण में सायलान वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2022-25 वाके ग्राम करई, फोटो प्रतिलिपि वयनामा परभाती आदि बहक रामसिंह विक्रय पत्र दिनांक 11.08.1978, फोटो प्रति नामातंकरण संख्या 138, फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल, फोटोप्रति जमाबंदी संवत् 2064-67 ग्राम करई, फोटोप्रति वयनामा परभाती बहक सुरेश विक्रय पत्र दिनांक 24.08.2009, फोटो प्रति डिक्री न्यायालय एसीजेएम हिण्डौन दावा रामसिंह आदि बनाम परभाति आदि मुकदमा न0 12/2009, फोटो प्रति आदेश न्यायालय हाजा, प्रार्थना पत्र टीआई उनवानी सुफेदी बनाम रामसिंह आदि, फोटोप्रति आदेश न्यायालय आरए सवाई माधोपुर सुफेदी बनाम रामसिंह, फोटो वयनामा मेढो बनाम शिवदेई गैरसायलान ने अपना जबाब प्रार्थना पत्र साबित करने हेतु फोटो प्रति रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 24.11.2021 तस्दीक 25.11.2021 उनवानी मेढो, सुफेदी बहक शिवदेई का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि विवादित आराजी खसरा न0 365, 366 वाके ग्राम करई तहसील हिण्डौन का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सायलान के हक दिनांक 28.08.1978 में ही बेचान किया जा चुका है किन्तु सायलान के हक में हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार विवादित आराजी खसरा न0 365, 366 वाके ग्राम करई तहसील हिण्डौन की खातेदारी गैरसायलान के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा सायलान ने खसरा न0 365, 366 वाके ग्राम करई तहसील हिण्डौन भूमि खरीद की है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं ऐसी स्थिति में विवादित आराजी खसरा न0 365, 366 वाके ग्राम करई तहसील हिण्डौन के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने पर उन्हें कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना नहीं है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 16.08.2022 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार


उपस्थित अधिकारी
विवादित विभाग

किया जाता है कि गैरसायलान को विवादित आराजी खसरा न0 365, 366 वाके ग्राम करई तहसील हिण्डौन में रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 16/6/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुजर)
उपरकण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करोली)
हिण्डौन
16/6/25